

(वाद सं०.-6936/4/10/2021)

29.03.2022

प्रसंगाधीन मामला, मंडल कारा, दरभंगा में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक एवं अन्य संविदाकर्मियों को उनके नियंत्री पदाधिकारी (अधीक्षक मंडल कारा, दरभंगा) द्वारा कार्य के दौरान गाली गलौज करने, धमकी देने , मार-पीट का प्रयास करने आदि शारीरिक व मानसिक दबाव दिये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि (07)सातों परिवादीगण, मंडल कारा, दरभंगा में कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/भी०सी० ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हैं उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनसे कारण पृच्छा की मांग की गई थी। जिसमें उन साता ने लिखित माफीनामा समर्पित किया है।

अब जबकि प्रतिवेदनानुसार सभी परिवादीगण के समस्या का निदान कर दिया गया हैं तो ऐसी परिस्थिति में **अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तदनुसार **अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा** से प्राप्त प्रतिवेदन (पृष्ठ-15-07/प०)की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक